

भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4695
दिनांक 21 अगस्त, 2025

शहरी ठोस अपशिष्ट को संपीड़ित जैव-गैस में परिवर्तित करना

4695. श्रीमती रूपकुमारी चौधरी:

श्री विश्वेश्वर हेगडे कागेरी:

श्री तेजस्वी सूर्या:

डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:

श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए देश भर में शहरी ठोस अपशिष्ट को संपीड़ित जैव-गैस (सीबीजी) में परिवर्तित करने को बढ़ावा दे रही है;
- (ख) यदि हों, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (ग) विगत दस वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सहित देश भर में स्थापित शहरी अपशिष्ट-आधारित सीबीजी संयंत्रों की संख्या कितनी है और उनका राज्य-वार, स्थान-वार और क्षमता-वार व्यौरा क्या है;
- (घ) इन सीबीजी संयंत्रों द्वारा अब तक कितना शहरी ठोस अपशिष्ट प्रसंस्कृत किया गया है;
- (ङ) इन संयंत्रों का उक्त राज्यों सहित देश के पर्यावरण पर क्या प्रभाव है; और
- (च) क्या मुंबई, ठाणे, पालघर और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में शहरी ठोस अपशिष्ट को संपीड़ित जैव-गैस में परिवर्तित करने के लिए कोई विशेष पहल आरम्भ की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (च): सरकार ने चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के निमित्त जैविक कचरे [नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) सहित] को बायोगैस, संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) और जैविक खाद में रूपांतरण को बढ़ावा देने के लिए कई मंत्रालयों और विभागों को शामिल करते हुए एक "समग्र सरकार" का दृष्टिकोण अपनाया है। किफायती परिवहन के लिए दीर्घ-कालिक विकल्प (सतत) के तहत तेल और गैस विपणन कंपनियों

के साथ दीर्घकालिक समझौतों के माध्यम से सीबीजी के उठान के लिए सुनिश्चित मूल्य; राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम की अम्बेला योजना जो अन्य बातों के साथ-साथ सभी प्रकार के सीबीजी/बायोगैस संयंत्रों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करती है; स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत नगरपालिका ठोस अपशिष्ट-आधारित सीबीजी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता उपलब्ध करवाना; उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत सीबीजी संयंत्रों से उत्पादित जैव-खाद को किण्वित जैविक खाद और तरल किण्वित जैविक खाद के रूप में शामिल करना; सीबीजी परियोजनाओं से उत्पादित जैविक उर्वरक को प्रोत्साहित करने के लिए बाजार विकास सहायता प्रदान करना; सीबीजी परियोजनाओं को मामला-दर-दर आधार पर 'श्रेत श्रेणी' के तहत शामिल करना; प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत सीबीजी परियोजनाओं को शामिल करना; सीबीजी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए विभिन्न बैंकों से ऋण उत्पाद; आदि विभिन्न उपाय किए हैं।

सरकार द्वारा अतिरिक्त पहल जैसे कि सीजीडी नेटवर्क में सीएनजी के साथ सीबीजी के समन्वय के लिए दिशानिर्देश; नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क में सीबीजी के इंजेक्शन के लिए पाइपलाइन अवसंरचना (डीपीआई) के विकास के लिए एक योजना; और सीजीडी नेटवर्क के सीएनजी (टी) और पीएनजी (डी) खंड में सीबीजी की चरणबद्ध अनिवार्य विक्री भी शुरू की गई है।

इसके अलावा, एमएसडब्ल्यू (छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य सहित) के वैज्ञानिक प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए, सरकार विभिन्न प्रकार की अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं को बढ़ावा दे रही है, जिसमें सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएं (एमआरएफ), खाद संयंत्र, जैव-मीथेनेशन संयंत्र, अपशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन (आरडीएफ) प्रसंस्करण सुविधाएं, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएं, अपशिष्ट से बिजली संयंत्र, निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) अपशिष्ट संयंत्र, सैनिटरी लैंडफिल जिसमें अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र और सीबीजी संयंत्र शामिल हैं। तथापि, राज्य अपने संसाधनों, प्रौद्योगिकी, स्थलाकृति, शामिल अपशिष्ट के प्रकार, जलवायु परिस्थितियों आदि के आधार पर रूपांतरण की उपयुक्त विधि का विकल्प चुन सकते हैं।

पिछले दस वर्षों के दौरान देश में स्थापित एमएसडब्ल्यू/सीवेज अपशिष्ट आधारित सीबीजी संयंत्रों की संख्या, क्षमता और स्थल का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

एमएसडब्ल्यू आधारित सीबीजी परियोजनाओं की स्थापना से लैंडफिल का बोझ कम होता है, मीथेन उत्सर्जन पर रोकथाम लगती है, वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलता है; प्रदूषण स्तरों में कमी आती है; अपशिष्ट को स्वच्छ ऊर्जा एवं जैविक खाद में बदलती है जिससे चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।

“शहरी ठोस अपशिष्ट को संपीड़ित जैव-गैस में परिवर्तित करना” के संबंध में दिनांक 21.08.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4695 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

एमएसडब्ल्यू आधारित सीबीजी संयंत्रों की सूची

क्र.	परियोजना का नाम	ज़िला	राज्य	फ़ीड स्टॉक	फ़ीडस्टॉक प्रसंस्करण क्षमता (टीपीडी)
1.	महिंद्रा वेस्ट टू एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (पिंगुरुल्ला)	गुंटूर	आंध्र प्रदेश	एमएसडब्ल्यू	21.25
2.	महिंद्रा वेस्ट टू एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (अडोनी)	कुरनूल	आंध्र प्रदेश	एमएसडब्ल्यू	20
3.	महिंद्रा वेस्ट टू एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (तिरुपति)	तिरुपति, चित्तौर	आंध्र प्रदेश	एमएसडब्ल्यू	42
4.	विजाग बायो-एनर्जी फ्यूल प्राइवेट लिमिटेड	विशाखापत्तनम	आंध्र प्रदेश	एमएसडब्ल्यू	30
5.	ब्लू प्लैनेट बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड	उत्तरी गोवा	गोवा	एमएसडब्ल्यू	12.5
6.	गेल (इंडिया) लिमिटेड	रांची	झारखण्ड	एमएसडब्ल्यू और गाय गोवर	150
7.	नेक्ससनोवस एयरपोर्ट वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	देवनहल्ली, बैंगलोर	कर्नाटक	एमएसडब्ल्यू	52.5
8.	सस्टेनेबल इम्पैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	रामनगर	कर्नाटक	एमएसडब्ल्यू	50
9.	इंदौर क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	इंदौर	मध्य प्रदेश	एमएसडब्ल्यू	500
10.	नोबल एक्सचेंज एनवायरनमेंट सॉल्यूशंस पुणे एलएलपी	पुणे	महाराष्ट्र	एमएसडब्ल्यू	400
11.	अवनी डीएम ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	पुणे	महाराष्ट्र	एमएसडब्ल्यू	50
12.	मंडी गोविंदगढ़	मंडी गोविंदगढ़	पंजाब	एमएसडब्ल्यू	15
13.	स्पार्क बायो गैस प्राइवेट लिमिटेड	चेन्नई	तमिलनाडु	एमएसडब्ल्यू	140
14.	श्रीनिवास वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	चेन्नई	तमिलनाडु	एमएसडब्ल्यू	100
15.	हैदराबाद इंटीग्रेटेड एमएसडब्ल्यू लिमिटेड	हैदराबाद	तेलंगाना	एमएसडब्ल्यू	160
16.	एवर एनवायरो रिसोर्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	प्रयागराज	उत्तर प्रदेश	एमएसडब्ल्यू	300
कुल					2043

सीवेज स्लज आधारित सीबीजी संयंत्रों की सूची

क्र.	परियोजना का नाम	ज़िला	राज्य	फ़ीड स्टॉक	फ़ीडस्टॉक प्रसंस्करण क्षमता (एमएलडी)
1	खिलारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	लुधियाना	पंजाब	सीवेज अपशिष्ट	165
2	ब्रजधाम पावर प्राइवेट लिमिटेड	जयपुर	राजस्थान	सीवेज अपशिष्ट	87.5
3	एनर्जीन लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	हैदराबाद	तेलंगाना	सीवेज गाद	339
4	एनर्जीन लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	हैदराबाद	तेलंगाना	सीवेज गाद	172
5	एनारोबिक एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	हरिद्वार	उत्तराखण्ड	सीवेज गाद	45
कुल					808

स्रोत: एमएनआरई, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय